

कार्यालय अधिष्ठासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चन्दौली  
(pwdchandauli.cd@gmail.com)

पत्रांक: 15 / A-23 / 2020-2021

दिनांक: 18/05/2020

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल,  
वाराणसी।


विषय: नेशनल विल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक- / एन०ओ०सी० / 222-25 / 2020-21 दिनांक-13.05.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा प्रेषित नन्दन कानन इण्टरनेशनल स्कूल सिकरी, चन्दौली के भवन की उपयुक्तता से सम्बन्धित विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय भवन "नेशनल विल्डिंग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया है", जिसमें भवन की चेकलिस्ट प्रोफार्मा 22 विन्दु में भरकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-चेकलिस्ट प्रोफार्मा-01 प्रति में।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
चन्दौली  
18/05/20  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
चन्दौली

विद्यालयों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित स्वतः सम्बन्धित चेकलिस्ट

जनपद- चन्दौली।

तहसील-चन्दौली।

ब्लाक- चन्दौली।

स्कूल का नाम- नन्दन कानन इण्टरनेशनल स्कूल, सिकरी, जनपद चन्दौली।

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊंचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8हे० 1800वर्गमी० है ?	हाँ
5	क्या भवन के चारो तरफ 6मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
7	क्या भवन का ओरियेन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है ?	हाँ
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सीमेंट मसालों से बनी है ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी० एवं उचाई 4.50मी० है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00मी० उचाई 2.00मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	नहीं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मि०मी० ट्रेड 300मि०मी० तथा राईजर 150मि०मी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्पिन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्नि शमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire Fighting) की व्यवस्था है ?	अग्नि शमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	अग्नि शमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
निर्माण विभाग  
C.D. PWD Chandauli  
चन्दौली  
18/05/2020